

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ ।

विज्ञापन संख्या० 19(06)/2016

नलकूप मिस्त्री (सामान्य चयन) 2016

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि – 06.10.2016

ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि – 08.10.2016

परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि – 24.10.2016

ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि – 26.10.2016

आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि – 28.10.2016

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विज्ञप्ति संख्या- 26(भर्ती)/2016 के क्रम में विज्ञापन संख्या- 19(06)/2016 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नियंत्रणाधीन " नलकूप मिस्त्री ", वेतनमान रु०5200-20200, ग्रेड पे-2400 के कुल रिक्त 672 स्थाई पदों, जिनका " नलकूप खण्डवार " एवं " श्रेणीवार " विवरण आगे बिन्दु -7 की सारणी-1 में दिया गया है, पर सामान्य चयन के अंतर्गत भर्ती हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

विशेष सूचना

परीक्षा शुल्क का भुगतान रजिस्ट्रेशन होने के अगले कार्य दिवस को या उसके बाद किया जा सकता है। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने एवं आवेदन सबमिट करने की दशा में ही उसका आवेदन पूर्ण होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जाएगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन सबमिट (SUBMIT) करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक बार से अधिक फीस का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

2- ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र / अंक तालिका आदि प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना –

इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें।

"ऑनलाइन आवेदन" करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली – भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

आयोग की वेबसाइट <http://upsssc.gov.in> पर "ऑल नोटिफिकेशन / एडवर्टिजमेंट डिटेल्स" (all notification /advertisement details) अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं :-

- 1- यूजर इन्सट्रक्शन (user instruction)
- 2- व्यू एडवर्टिजमेंट (view advertisement)
- 3- अप्लाई (apply)

यूजर इन्सट्रक्शन (user instruction)- में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा- निर्देश दिये गए हैं। इसके बाद अभ्यर्थी व्यू एडवर्टिजमेंट (view advertisement) को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा। आवेदन हेतु अप्लाई (apply) पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जाएगा :-

प्रथम स्तर – अप्लाई क्लिक करने पर परिशिष्ट -1 में परीक्षा के सापेक्ष कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन (candidate registration) क्लिक करने पर अभ्यर्थी का बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म (परिशिष्ट -2) प्रदर्शित होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय अभ्यर्थी इस बात का पूरा ध्यान रखे कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग (Gender), शैक्षिक योग्यता / अर्हता, प्राप्तांक एवं पूर्णांक सही-सही भरें। गलत सूचना होने पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस विषय में कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी।

फॉर्म भरने के पश्चात सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करने से प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात (कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एक्नोलेजमेंट) (परिशिष्ट -3) प्रदर्शित होगा। जिसे प्रिंट पर क्लिक करके मुद्रित किया जा सकेगा। मुद्रित करने के बाद अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, शैक्षिक योग्यता / अर्हता, प्राप्तांक एवं पूर्णांक को अवश्य जांच लें। यदि उसमें कोई गलती हो तो तत्काल पुनः रजिस्ट्रेशन कर लें। बाद में किसी प्रकार की प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी और आवेदन निरस्त मान लिया जाएगा।

द्वितीय स्तर – परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु वेबसाइट पर दिये गए लिंक को क्लिक करें, शर्तों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। इसके बाद स्टेट बैंक कलेक्ट पर जाकर ई-चालान या ऑनलाइन माध्यमों (इंटरनेट बैंकिंग / काडर्स) से परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। कैटेगरी का चयन करें, रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्मतिथि (dd/mm/yyyy के रूप में) भरें एवं सबमिट करें। स्क्रीन पर भरी हुई सभी प्रविष्टियाँ सत्यापित करें एवं सत्यापित प्रविष्टियाँ भरें एवं सबमिट करें। इन्हें पुनः सत्यापित कर कन्फर्म करें। अब पेमेंट ऑप्शन्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इनमें से भुगतान का माध्यम चयन करें। SBI इंटरनेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग, अथवा SBI की किसी शाखा में नकद भुगतान के लिए ई-चालान के लिए SBI ब्रांच का चयन करें। ई-चालान भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा पर जमा किया जा सकता है। यदि ऑनलाइन भुगतान का चयन किया गया है तो स्क्रीन पर दिये गए निर्देशों के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। ई-चालान के साथ भारतीय स्टेट बैंक की, जिले की, किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित धनराशि (ई-चालान में मुद्रित होगी) जमा करके भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न करने के पश्चात विभाग

की वैबसाइट पर प्रिंट ई-रिसीप्ट के आप्शन का चयन करते हुए ई-रिसीप्ट का प्रिंट आउट प्राप्त कर लें। ई-चालान की एक प्रति बैंक से प्राप्त कर लें तथा इसे अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। बैंक द्वारा अभ्यर्थी को वापस की गयी ई-चालान की प्रति में बैंक द्वारा ट्रांजेक्सन आई. डी / जर्नल नंबर (डीयू.....) छपी हुई होगी जिसका उपयोग तृतीय स्तर पर आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी को करना होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करते समय स्क्रीन पर (डीयू.....) ट्रांजेक्सन नंबर दिखाया जाएगा जिससे ई-रिसीप्ट का प्रिंट भी लिया जा सकता है।

तृतीय स्तर- बैंक में शुल्क जमा करने के दिनांक के बाद दो दिन छोड़कर अग्रेतर कार्य दिवस में (अपरान्ह 2 बजे के पश्चात) अभ्यर्थी को आयोग की वैबसाइट पर प्रदर्शित सबमिट एप्लिकेशन फार्म बटन को क्लिक करने पर प्रदर्शित फॉर्मेट में ऑनलाइन सूचनाएँ भरनी होगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसका नमूना परिशिष्ट -6 पर है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने हाल के नवीनतम, आवक्ष तक (इमेज जो तीन माह से ज्यादा पुराना न हो) के रंगीन फोटोग्राफ सफेद पृष्ठभूमि के साथ तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग करके प्रविष्ट (upload) करेंगे। फोटोग्राफ,(*.jpe,*.jpeg,*.jpg) के प्रारूप पर होगा जिसका आकार 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी काली स्याही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता तो ऑनलाइन आवेदन, सिस्टम पर स्वीकार नहीं होगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया (परिशिष्ट-7) में दी गई है। अभ्यर्थी फोटो अपलोड करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड डालकर जब सबमिट करेगा तो आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद “व्यू एप्लीकेशन फार्म” को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनाएँ सही-सही भरी गयी है और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ऑनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु “सबमिट” बटन को क्लिक करें, अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएँ सही- सही निर्देशानुसार ऑनलाइन फॉर्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट बटन को क्लिक करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया जाएगा तो आवेदन सबमिट नहीं होगा। इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। “सबमिट” बटन को क्लिक करने के पश्चात आवेदन का प्रिंटआउट परिशिष्ट-7ए लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें। चूंकि किसी विसंगति के लिए आयोग जिम्मेदार न होगा।

3. किसी भी गलती के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। एक बार आवेदन “सबमिट” करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

4. **आवेदन शुल्क** – ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद आवेदक उपरिवर्णित विधि से आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे। स्टेट बैंक ई- कलेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	(आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क) योग
1-	अनारक्षित (सामान्य)	80.00	25.00	105.00
2-	अन्य पिछड़ा वर्ग	80.00	25.00	105.00
3-	अनुसूचित जाति	40.00	25.00	65.00
4-	अनुसूचित जनजाति	40.00	25.00	65.00

नोट- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को - क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। नलकूप मिस्त्री का पद विकलांगजनों हेतु चिन्हित नहीं है। अतः नलकूप मिस्त्री पद हेतु विकलांग व्यक्ति पात्र नहीं हैं।

5. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा एवं सूचनाएँ सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के प्रश्नगत चयन तथा अन्य समस्त चयनों / परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6. सबमिट किये गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन (सेकंड रजिस्ट्रेशन) संशोधित सूचना के साथ पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। सभी 68 नलकूप खण्डों के लिए एक ही आवेदन करना है। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन "सबमिट" करने की दशा में अंतिम आवेदन ही स्वीकार होगा, पूर्व के शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

7. नलकूप मिस्त्री के कुल 672 रिक्त पदों का विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर नलकूप खण्डवार व श्रेणीवार विवरण निम्नवत है -

सारणी-1

क्र०सं०	खण्डों का नाम	अधियाचन के अनुसार रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण				योग	क्षैतिज आरक्षण 20% महिलाओं हेतु
		अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नलकूप खण्ड, हरदोई	11	-	-	01	12	02
2	नलकूप खण्ड, उन्नाव	12	02	-	02	16	03
3	नलकूप खण्ड, रायबरेली	07	01	-	02	10	02
4	नलकूप खण्ड, इटावा	05	-	-	03	08	01
5	नलकूप खण्ड, औरैया	03	02	-	-	05	01
6	नलकूप खण्ड, फरुखाबाद	06	-	-	-	06	01
7	नलकूप खण्ड, कन्नौज	04	-	-	-	04	-
8	नलकूप खण्ड, 1 उरई	06	01	-	03	10	02
9	नलकूप खण्ड, बांदा	14	01	-	06	21	04
10	नलकूप खण्ड, हमीरपुर	12	03	-	04	19	03
11	नलकूप खण्ड, 1 कानपुर	09	01	-	03	13	02
12	नलकूप खण्ड, कानपुर देहात	04	-	-	-	04	01
13	नलकूप खण्ड, 1 बरेली	09	-	-	01	10	02
14	नलकूप खण्ड, 2 बरेली	07	-	-	-	07	01

15	नलकूप खण्ड, 1 बदायूँ	05	04	-	-	09	01
16	नलकूप खण्ड, 2 बदायूँ	07	04	-	03	14	02
17	नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर	11	01	-	-	12	02
18	नलकूप खण्ड, 1 सीतापुर	09	-	-	03	12	02
19	नलकूप खण्ड, 2 सीतापुर	07	02	-	03	12	02
20	नलकूप खण्ड, लखीमपुर	14	-	-	04	18	03
21	नलकूप खण्ड, (पूर्व) मेरठ	11	-	-	-	11	02
22	नलकूप खण्ड, (पश्चिम) बागपत	10	02	-	-	12	02
23	नलकूप खण्ड, (उत्तर) बुलन्दशहर	09	-	-	-	09	01
24	नलकूप खण्ड, गाज़ियाबाद	06	01	-	-	07	01
25	नलकूप खण्ड, सहारनपुर	07	01	-	-	08	01
26	नलकूप खण्ड, मुजफ्फरनगर	12	02	-	-	14	02
27	नलकूप खण्ड, 1 अलीगढ़	05	-	-	-	05	01
28	नलकूप खण्ड, एटा	03	-	-	-	03	-
29	नलकूप खण्ड, कासगंज	04	-	-	01	05	01
31	नलकूप खण्ड, 1 मुरादाबाद	12	-	-	02	14	02
32	नलकूप खण्ड, बिजनौर	08	-	-	02	10	02
33	नलकूप खण्ड, रामपुर	07	-	-	01	08	01
34	नलकूप खण्ड, चन्दौसी	07	02	-	01	10	02
35	नलकूप खण्ड, जे०पी०नगर	13	-	-	02	15	03
36	नलकूप खण्ड, आगरा	08	03	-	04	15	03
37	नलकूप खण्ड, फ़िरोजाबाद	05	-	-	03	08	01
38	नलकूप खण्ड, मैनपुरी	09	-	-	02	11	02
39	नलकूप खण्ड, फैज़ाबाद	07	03	-	-	10	02
40	नलकूप खण्ड, अम्बेडकरनगर	09	-	-	02	11	02
41	नलकूप खण्ड, अमेठी	08	01	-	02	11	02
42	नलकूप खण्ड, सुल्तानपुर	07	05	-	03	15	03
43	नलकूप खण्ड, बाराबंकी	05	-	-	-	05	01
44	नलकूप खण्ड, बस्ती	02	-	-	03	05	01
45	नलकूप खण्ड, सन्तकबीर नगर	02	-	-	01	03	-
46	नलकूप खण्ड, सिद्धार्थनगर	05	-	-	-	05	01
47	नलकूप खण्ड, गोण्डा	02	02	-	-	04	-
48	नलकूप खण्ड, बलरामपुर	07	01	-	-	08	01
49	नलकूप खण्ड, बहराइच	07	01	-	02	10	02
50	नलकूप खण्ड, नानपारा	07	01	-	01	09	01

51	नलकूप खण्ड, 1 गोरखपुर	09	-	-	-	09	01
52	नलकूप खण्ड, 2 गोरखपुर	08	-	-	04	12	02
53	नलकूप खण्ड, महाराजगंज	11	03	-	01	15	03
54	नलकूप अनुरक्षण खण्ड, देवरिया	07	-	-	-	07	01
55	नलकूप खण्ड-2 सलेमपुर	03	03	-	-	06	01
56	नलकूप खण्ड, 1 वाराणसी	09	-	-	-	09	01
57	नलकूप खण्ड, चन्दौली	11	01	-	-	12	02
58	नलकूप खण्ड, जौनपुर	11	-	-	03	14	02
59	नलकूप खण्ड, 1 इलाहाबाद	07	01	-	-	08	01
60	नलकूप खण्ड, 2 इलाहाबाद	09	-	-	-	09	01
61	नलकूप खण्ड, 3 इलाहाबाद	06	-	-	-	06	01
62	नलकूप खण्ड, फतेहपुर	11	03	-	-	14	02
63	नलकूप खण्ड, 1 गाजीपुर	10	03	-	-	13	02
64	नलकूप खण्ड, 2 गाजीपुर	10	-	-	-	10	02
65	नलकूप अनुरक्षण खण्ड, भदोही	15	01	-	-	16	03
66	नलकूप खण्ड, आजमगढ़	-	05	-	02	07	01
67	नलकूप खण्ड, मऊ	13	01	-	02	16	03
68	नलकूप खण्ड, 2 बलिया	06	-	-	-	06	01
	योग	522	68	-	82	672	110

नोट:-(1) नलकूप मिस्त्री का पद विकलांगजनों हेतु चिन्हित नहीं है। अतः विकलांग व्यक्ति इस पद के लिए पात्र नहीं हैं।

(2)-नलकूप मिस्त्री के पद खण्डीय स्तर के पद है जिसके नियुक्त प्राधिकारी खण्डाधिकारी (अधिशाली अभियन्ता) हैं। खण्डीय स्तर का पद होने के कारण रिक्तियों, जिनका उल्लेख ऊपर प्रस्तर 1-में किया गया है, की गणना खण्डीय स्तर पर की गयी है। जिसका विवरण उपर्युक्त सारिणी-1 में दिया गया है।

क्षैतिज आरक्षण

नलकूप मिस्त्री के पद पर क्षैतिज आरक्षण के संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत केवल महिलाओं के लिए 20% आरक्षण का उल्लेख किया गया है। नलकूप खण्डवार उपलब्ध उपर्युक्त सारिणी-1 के स्तम्भ -8 में किया गया है :-

टिप्पणी

(1)- उपर्युक्त सारिणी-1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, जो 01 जुलाई, 2016 को 18-40 वर्ष आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं और बिन्दु-8 में उल्लिखित अनिवार्य अर्हता रखते हों, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

- (2)- उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित समस्त 68 नलकूप खण्डों के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन करना है।
- (3)- साक्षात्कार में बुलाये जाने वाले अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या आयोग द्वारा संवीक्षा के उपरान्त नियमानुसार निर्धारित की जाएगी।
- (4)- महिलाओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक शासनादेशों में विहित नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा। उत्तर प्रदेश के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित पदों पर) पदों पर ही आरक्षण देय है।
- (5)- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों शासनादेशों में निर्धारित/ अध्यादेशों/नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- (6)- उपर्युक्त सारणी-1 में श्रेणीवार पदों की संख्या संबन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए श्रेणीवार आरक्षित रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।
- (7)- रिक्तियों की संख्या घट- बढ़ सकती है।

8- अनिवार्य अर्हता(शैक्षिक)/अधिमान्य अर्हता-

अनिवार्य अर्हता(शैक्षिक)- हाईस्कूल परीक्षा तथा आई. टी. आई. के साथ-साथ 05 वर्ष का अनुभव हो।

विशेष नोट- नलकूप मिस्त्री के पद से संबन्धित आई० टी० आई ० के ट्रेडों का निर्धारण विभाग द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के अनुमोदन के आधार पर किया जाएगा।

9- चयन का आधार:- (1) नलकूप मिस्त्री के पद पर भर्ती हेतु चयन का आधार साक्षात्कार है।

परंतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के लिए हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर निर्धारित श्रेष्ठताक्रम के अनुसार साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या को यथोचित सीमा तक कम कर सकता है;

यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होगी और आयोग के लिए उन सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना सुविधाजनक या संभव नहीं होगा तो आयोग एक प्राक्चयन परीक्षा (screening test) द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। इस सम्बंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(2) नलकूप मिस्त्री पद की संगत नियमावली 1951 के नियम-12(ख) के अनुसार चयन के समय निम्न बातों का संज्ञान लिया जाएगा :-

शरीर गठन और व्यक्तित्व।(2) चरित्र, बुद्धि एवं प्रेरणा शक्ति।(3)चातुरी और शक्ति तथा (4)जगह (POST) के लिए सामान्य रूप से उपयुक्तता।

10-प्रशिक्षण- ट्यूबवैल मिस्त्री सेवा नियम 1951 के नियम 15 के अनुसार -

(क) चयनित अभ्यर्थियों को उक्त डिवीजन के वर्कशाप में जहां वे भेजे गए हों दो महीने का प्रशिक्षण (TRAINING) लेना होगा और यदि संभव हुआ तो उनको किसी स्थान पर नया ट्यूबवैल बनाने और लगाने के लिए एक महिना और व्यतीत करना पड़ेगा।

(ख) प्रशिक्षण समाप्त हो जाने पर अभ्यर्थी को 25 हार्स पावर तक के तीन फेज (PHASE) के बिजली के मोटर, केंद्रपसारी पम्प (CENTRIFUGAL PUMPS) और एच० टी० के बिजली के स्विचगियर लगाने, उनके रख-रखाव, उनकी सफाई और मरम्मत और ट्यूबवैल बनाने के सम्बन्ध में एक परीक्षा पास करनी होगी, जिसे सर्किल के सबसे सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और पम्प इंजीनियर लेगे।

अन्य शर्तें अथवा अर्हतायें- सेवा नियम 1951 के अनुसार अभ्यर्थी को साइकिल की सवारी जानना आवश्यक है।

11- आयु सीमा :- आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2016 है और उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु 18-40 वर्ष के मध्य होनी चाहिये अर्थात् अभ्यर्थी ने 01 जुलाई 2016 (01-07-2016) को 18 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात् उसका जन्म 02 जुलाई 1976 से पूर्व तथा 01 जुलाई 1998 के बाद न हुआ हो।

(1)- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो तथा शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई 2016 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर, परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है।

12- आरक्षण- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों / उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा – उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट- आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/ आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

13- अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश-

(1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

(2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ० प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(4) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।

(5) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र, जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(6) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(7) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात् (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात् (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।

(8) जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे साक्षात्कार के समय अथवा मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।

(9) राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ० प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एम. / 2001 - का - 4 - 2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

(10) ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे। बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

(11) अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(12) एक से अधिक श्रेणियों में आश्रित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी।

(13) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगजनों, महिला अभ्यर्थियों तथा विकलांगता से ग्रस्त भूतपूर्व सैनिकों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

- (14) आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त बिन्दु -7 की सारणी-1 में उल्लिखित पद के सापेक्ष बिन्दु-8 में विहित अनिवार्य अर्हता(शैक्षिक) व अनिवार्य अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए।

14- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश -

- 1- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग के प्रश्नगत चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है।
- 2-आयोग कार्यालय में आवेदन "सबमिट" हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, लिंग (Gender), शैक्षिक योग्यता अथवा आवेदित पदनाम आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। सूचना गलत पाये जाने पर चयन की किसी भी स्टेज पर अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी।
- 3- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 4- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।
- 5- जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 6- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने या त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन "सबमिट" किए जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन करने तथा आवेदन के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न होने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 7- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर साक्षात्कार हेतु पात्र पाये जाने पर औपबंधिक बुलावा पत्र भेजता है, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी के पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता / अर्हता नहीं थी और वह अर्ह नहीं था / थी अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था / थी, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- 8- आयोग से सभी पत्राचार में आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा (अनुक्रमांक यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए, किन्तु उपर्युक्त बिन्दु-2 के संबंध में कोई पत्राचार न किया जाए।
- 9- नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
- 10- ऐसे अभ्यर्थी जो पद हेतु विहित अनिवार्य(शैक्षिक) अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तथा आवेदन "सबमिट" करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं।
- 11- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।

- 12- किसी अनाचार / कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन / चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 13- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा कठिनाई / समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 14- ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 17.10.2016 तथा आवेदन स्वीकार "सबमिट" किए जाने की अंतिम तिथि 19.10.2016 है।



सचिव

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

Detailed Application Form:

At the top of the page there is a declaration for the Candidates are advised to go through the content of the declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the Candidate opts to disagree, the application will be dropped and procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-Line Application.

Notification Details:

This section shows information relevant to Notification.

Personal Details:

This section show information about Candidate Personal Details i.e. Registration Number, Candidate Name, Father/Husband Name, Gender, DOB, UP Domicile, Category, Marital Status, E-mail ID and Contact Number.

Other Details of candidate:

Other Details of Candidate shows the information about UP Freedom Fighter, Ex-Army service duration and physical deformity.

Education & Experience Details:

It shows Education and Experience details of the candidate.

Candidate Address, Photo & Signature Details.

It shows Communication Address and Photo with signature of the Candidate.

Declaration segment:

At the bottom of the page there is a **“Declaration”** for the Candidates. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview Candidates detail before final submission of Application Form on clicking on **“Preview”** button.

Preview page will display all facts/Particulars that the Candidates have mentioned on entry time. If they are sure with filled details then click on **“Submit”** button to finally push data into server with successfully submission report that they can print.

Otherwise using **“Back”** button the details can be modified.

(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE “PRINT” OPTION AVAILABLE)

For other information candidates are advised to select desired option in ‘Home Page’ of commission’s website <http://upsssc.gov.in> CANDIDATE SEGMENT.

CANDIDATE SEGMENT
ALL Notification/Advertisements
Candidate Registration (First Stage)
Candidate E-Challan/I-Collect (Second Stage)
Submit Application Form (Third Stage)
View Application Status
List of Applications Having Photo related Objections
Download form for Eligibility Checking
Download Interview Letter
Duplicate Registration Slip & Application form
Download syllabus

1) LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION: On-line - Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट-8

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री
निवासी ग्राम तहसील नगर
जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान
(अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के
ग्राम तहसील नगर जिला
में सामान्यता रहता है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

मुहर

पद का नाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/

अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री
निवासी ग्राम तहसील नगर जिला
उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो
(जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा
प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन)
अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये
या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास शनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम
तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

मुहर

पद का नाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

उ०प्र० के विकलांगों के लिये प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.....

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt./Kum.

Son/Wife/Daughter of Shri age

Sex identification mark (S) is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor of cerebral palsy:

- (i) BL-Both legs affected but not arms.
- (ii) BA-Both arms affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
- (iii) BLA-Both legs and both arms affected
- (iv) OL-One leg affected (right or left)
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (v) OA-One arm affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
- (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

- (i) B-Blind
- (ii) PB-Partially Blind

C. Hearing Impairment:

- (i) D-Deaf
- (ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of year months.

3. Percentage of disability in his/her case is percent.

4. Sh./Smt./Kum. meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

- | | |
|---|--------|
| (i) F-can perform work by manipulating with figers. | Yes/No |
| (ii) PP-can perform work by pulling and pushing | Yes/No |
| (iii) L-can perform work by lifting | Yes/No |
| (iv) KC-can perform work by kneeling and couching. | Yes/No |
| (v) B-can perform work by bending. | Yes/No |
| (vi) S-can perform work by sitting. | Yes/No |
| (vii) ST-can perform work by standing. | Yes/No |
| (viii) W-can perform work by walking | Yes/No |
| (ix) SE-can perform work by seeing. | Yes/No |
| (x) H-can perform work by hearing/speaking. | Yes/No |

(xi) RW-can perform work by reading and writing

Yes/No

(Dr.....)

(Dr.....)

(Dr.....)

Member

Member

Chairperson

Medical Board

Medical Board

Medical Board

Countersigned by the

Medical Superintendent/V

CMO/HQ

Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती निवासी
ग्राम-....., तहसील-....., नगर-.....
जिला-..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,
1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/कुमारी (आश्रित).....
..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र
की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993
(यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).....
..... के आश्रित हैं।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी
(सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ0प्र0 के मूल निवासी हैं

शारदादेरा संख्या-22/21/1983-कार्गिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4

प्रारूप - 1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी अत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पद

संस्था का नाम

मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेंट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पद

संस्था का नाम

पता

शहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा पता) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पद

संस्था का नाम

शहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-खूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल प्रेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पद

संस्था का नाम

पता

शहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव